न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), लखीमपुर–खीरी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–335 सन् 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2360 / 2026

CNR UPLP 01 005109 2026

1–रघुनाथ आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र सियाराम,

2–जमादार आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र बाबू,

3–रामबहादुर आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र तौला,

निवासीगण ग्राम सरियापारा, थाना गौरीफन्टा, जिला खीरी।

..... आवेदकगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोगी।

मु0सं0–2390 / 2017,
अ0सं0–6 / 2012,
धारा–147,332,353,427,
452,504,506 भा0दं0सं0
व 7 सी0एल0 एक्ट
थाना–गौरीफंटा,
जिला–लखीमपुर खीरी।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–482 बी0एन0एस0एस0 आवेदकगण रघुनाथ, जमादार व रामबहादुर की ओर से मु0सं0–2390 / 2017, अ0सं0–6 / 2012, धारा–147, 332, 353, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0 एक्ट, थाना–गौरीफंटा, जिला–लखीमपुर खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त रघुनाथ का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

प्रार्थीगण ने अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी वन विभाग के कर्मचारी प्रार्थीगण से बेगार लेते है, उनकी बेगार करने मना करने पर प्रार्थीगण का नाम इस मुकदमें में बढ़ाया गया है। प्रार्थीगण नामजद अभियुक्त नहीं है और न ही व मौके पर पकड़े गये है और न ही उसके पास से कुछ बरामद हुआ है। प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण को

उक्त वाद में चुनावी रंजिश के कारण प्रधान के कहने पर उक्त वाद में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण उक्त वाद में थाने से जमानत पर है। उक्त वाद में सह अभियुक्ता पारवती की अग्रिम़

जमानत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा दी गयी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। प्रार्थीगण कभी देश छोड़कर भागेंगे नहीं और न्यायालय द्वारा किये गये आदेश का विधिवत् पालन करेंगे। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की अग्रिम जमानत स्वीकार करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.2012 को अपरान्ह 2 बजे लगभग बनकटी रेंज परिसर में ग्राम बिरियाखेड़ा, भूड़ा सूड़ा एवं सरियापारा के थारू जनजाति की लगभग 150 महिलांए, पुरूष व बच्चे एवं रजनीश जो वन श्रमजीवी मंच से सम्बन्धित व्यक्ति है एवं रामचन्द्र राना पुत्र पटुआ निवासी सूरमा थाना गौरीफंटा के साथ गिरोहबन्द होकर आये, गेट तोड़कर कार्यालय के वायरलेस कक्ष का ताला तोड़कर वायलेस के तार तोड़ डाले एवं कार्यालय कक्ष के दरवाजे के शीशे तोड़कर अन्दर रखे फर्नीचर को क्षति ईंटों द्वारा पहुंचाई। इस प्रकार इनके द्वारा लगभग पांच हजार रूपये की राजकीय क्षति पहुंचाई। इसके बाद वनकटी रेंज में बने आवासीय परिसर में श्री विजय कुमार वन्य जीव रक्षक के आवास का गेट तोड़कर अलमारी में रखे नौ हजार पांच रूपये निकाल ले गये और शेष घरेलू सामान को तोड़ फोड़कर नष्ट कर दिया। श्री विजय कुमार अपनी राजकीय रायफल लेकर छत पर चढ़कर जान बचाई। इसके बाद आवासीय परिसर में उसके आवास में गेट तोड़कर घुस गये तथा उसकी पत्नी श्रीमती सत्यवती यादव के गले से सोने की जंजीर व मंगलसूत्र छीनकर ले गये तथा उसके घरेलू उपकरण टी0वी0 व अन्य सामान की तोड़फोड़कर दी इस लूट में प्रार्थी का करीब पच्चासी हजार रूपये का नुकसान हुआ है। हम लोग इस सम्बन्ध में काफी डरे व सहमे रहे तथा अपने उच्च अधिकारियो को भी सूचना दिया। यह सभी बाद में डिगनिया की तरफ चले गये उसके बाद काफी देर बाद जब सब शान्त हो गया तब रिपोर्ट लिखाने आया है। अतः अनुरोध है कि सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित सभी धारांए अधिकतम् 7 वर्ष की सजा से सम्बन्धित है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत अवश्य किया गया है, परन्तु वह इसी अपराध से सम्बन्धित है। अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण पर सम्बन्धित मूल पत्रावली में कई वर्ष से अधिक समय से एन0बी0डब्लू0 जारी है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई सम्मन या वारंट संलग्न नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्तगण पर किसी प्रॉसेस की तामील हुई है। अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी मामले में सह अभियुक्ता करूआ देवी की अग्रिम जमानत इसी न्यायालय के विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.2025 को स्वीकार की गयी है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 व अन्य (2022) 10 एस0सी0सी0 51 में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण रघुनाथ पुत्र सियाराम, जमादार पुत्र बाबू व रामबहादुर पुत्र तौला का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा अन्दर 5 दिवस मु0 1,00,000–1,00,000/–रूपये (एक–एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें और इस मध्य यदि अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके द्वारा मु0 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी के समक्ष निष्पादित की जायेगी तथा अभियुक्तगण द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत की जाये कि–

1–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकीया वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को न प्रकट करने के लिए मनाया जा सके।

2–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत देश नहीं छोड़ेंगे।

दिनांकः 30.07.2026

(रेनू सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
लखीमपुर खीरी।
J.O.Code.U.P.-6470

Digitally signed by Renu Singh
Date: 2026.07.30 16:18:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court